न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रशान्त शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 144 / 2012

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 सांवलाराम पुत्र राणाराम जाति रबारी निवासी बाड़मेर मगरा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 मोडाराम पुत्र विशनाराम फौत के कायम मुकाम 1/1 तेजाराम पुत्र मोडाराम 1/2 मेती पत्नी मोडाराम 2 हमीराराम 3 गुणेशाराम पिसरान विशनाराम 4 सुरताराम 5 ओमाराम पिसरान हरिया उर्फ हरीराम 6 पातीदेवी पत्नी हरिया उर्फ हरीराम जाति रबारी निवासी बाड़मेर मगरा तहसील व जिला बाड़मेर 7 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री मनोज पारीक, वकील वादी।
2. श्री राणाराम गौड़ वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांक 16.09.2020

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के संयुक्त स्वामीत्व एवं आधिपत्य की कब्जा काश्त सुदा भूमि मौजा बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 305, 306, 307 व 308 कुल रकबा 69.03 बीघा आई हुई है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का भी 1/2 हिस्सा निहित है। उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त रहवासी ढाणियां, पानी का टांका तथा चार बाड़े इत्यादी बने हुए है। उक्त भूमि पक्षकारान को इस न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 169/83 निर्णय दिनांक 17.09.1986 के जरिये प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि के हिस्से की घोषणा एवं विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद दिनांक 15.02.2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकरी जारी की गई तथा तहसीलदार बाडमेर से वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया था।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्राथमिक डिकरी मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन का प्रस्ताव उपलब्ध करवाया। माफिक विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद स्वीकार कर दिनांक 05.01.2018 को अन्तिम डिकरी जारी की गई। उक्त डिकरी दिनाक 05.01.2018 से क्षुब्ध होकर प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2018 को निर्णय पारित करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तिम डिकरी दिनाक 05.01.2018 को अपास्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाते हुए निर्णय पारित करने का निर्देश दिया।

तहसीलदार बाडमेर से पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.03.2020 पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की।

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 305, 307, 3565/306, 3566/306, 3567/308 रकबा क्रमशः 0.02, 0.05, 16.08, 16.06, 35.09.10 बीघा कुल रकबा 68.10.10 बीघा भूमि में माफिक विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरग
1	सांवला पुत्र राणाराम जाति राईका सा. देह खातेदार	305 3565/306 3566/306 3567/308	0.02 16.08 16.06 01.09.05	गै मु बानी बा दो बा दो बा दो	2.13	हरा
		4	34.05.05	–	2.13	
2	मोडा के कायम मुकाम तेजाराम पुत्र मोडाराम मेती पत्नी मोडाराम हमीरा गणेशा पिसरान विशना सुरताराम जोगाराम पिसरान हरिया पांचीदेवी पत्नी हरिया कोसली पत्नी विशना जाति राईका सा. देह खातेदार	307 3567/308	0.05 34.00.05	गै मु बानी बा दो	2.13	भूरा
		2	34.05.05	–	2.13	

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिकरी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

(प्रशान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

सहायक कलक्टर (S.D.O) * बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 11/09/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) **अन्तिम डिक्री**

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 सांवलाराम पुत्र राणाराम जाति रबारी निवासी बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर।		1 मोडाराम पुत्र विशनाराम फौत के कायम मुकाम 1/1 तेजाराम पुत्र मोडाराम 1/2 मेती पत्नी मोडाराम 2 हमीराराम 3 गणेशाराम पिसरान विशनाराम 4 सुरताराम 5 जोगाराम पिसरान हरिया उर्फ हरीराम 6 पांचीदेवी पत्नी हरिया उर्फ हरीराम जाति रबारी निवासी बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर 7 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत् 88, 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 144/2012

निर्णय दिनांक :– 16/09/20

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16/09/20 को श्री प्रशान्त शर्मा, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 305, 307, 3565/306, 3566/306, 3567/308 रकबा क्रमशः 0.02, 0.05, 16.08, 16.06, 35.09.10 बीघा कुल रकबा 68.10.10 बीघा भूमि में माफिक विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	रंग
1	सांवला पुत्र राणाराम जाति राईका सा. देह खातेदार	305 3565/306 3566/306 3567/308	0.02 16.08 16.06 01.09.05	गै.मु.बारानी बा.दो. बा.दो. बा.दो.	2.13	हरा
		4	34.05.05	–	2.13	
2	मोडा के कायम मुकाम तेजाराम पुत्र मोडाराम मेती पत्नी मोडाराम हमीरा गणेशा पिसरान विशना सुरताराम जोगाराम पिसरान हरिया पांचीदेवी पत्नी हरिया कोसली पत्नी विशना जाति राईका सा. देह खातेदार	307 3567/308	0.05 34.00.05	गै.मु.बारानी बा.दो.	2.13	भूरा
		2	34.05.05	–	2.13	

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 16/09/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(S.D.O.) बाड़मेर

(प्रशान्त शर्मा)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\PD\PD Abhiyan.docx

Scanned with CamScanner